मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 433/2021 "सुखराम सिंह बनाम स्टेट आफ उ0प्र0" में दिनांक 27.01.2022 को उद्योग मै0 एम0डी0 एग्रो इण्डस्ट्रीज, गाटा सं0–190मि0 रकवा–0.1940है0 ग्राम–जैतीपुर, तहसील–तिलहर, जिला–शाहजहॉपुर के विरूद्ध पारित आदेश का अनुपालन के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या–

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 433/2021 "सुखराम सिंह बनाम स्टेट आफ उ0प्र0" में दिनांक 27.01.2022 को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय जिलाधिकारी, शाहजहांपुर के पत्रांक सं0 1085/ओ0ए0 नं0–433–2021/2022 दिनांक 26.02.2022 द्वारा उप जिलाधिकारी, तिलहर, शाहजहांपुर, उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, शाहजहांपुर एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली की संयुक्त टीम का गठन किया गया है **(संलग्नक–1)**। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 433/2021 "सुखराम सिंह बनाम स्टेट आफ उ0प्र0" में दिनांक 27.01.2022 को पारित मुख्य अंश निम्नवत् है–

1. The applicant Mr. Sukha Ram Singh r/o. of Gram Gauharvar Pargana Chauda Baheda, Tehsil Tilhar, Distt. Shahjahanpur, U.P. has filed a complaint against Rice Mill which is situated at a distance of 0 meter from Laturi Lal Inter College Jatipur. It is further submitted that the said Rice Mill is in operation in violation of environmental norms. There is one inter college as well as schools in the close vicinity of the said Rice Mill and the Mill is a serious health hazard for the students as well as for the local residents of the village.
2. In view of the above, we direct the State PCB and District Magistrate –Shahjahanpur, UP to look into the grievance of the applicant and take remedial action in accordance with law following due process. The report be submitted within two months before the Ld. Registrar, 2 General, National Green Tribunal, Principal Bench at New Delhi by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF, who may if necessary put up the matter before the Bench for directions. The application is disposed of. A copy of this order, along with a copy of the complaint, be forwarded to the State PCB and District Magistrate –Shahjahanpur, UP by e-mail for compliance.

उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु गठित संयुक्त टीम द्वारा सन्दर्भित उद्योग स्थल का निरीक्षण श्री धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता (पार्टनर) उद्योग प्रतिनिधि की उपस्थिति में दिनांक 22.03.2022 को किया गया। उक्त टीम द्वारा किये गये निरीक्षण/सर्वेक्षण की बिन्दुबार आख्या निम्नवत् है–

1. राइस मिल उद्योग गाटा सं0–190मि0 रकवा–0.1940है0 ग्राम–जैतीपुर, तहसील– तिलहर, जिला–शाहजहॉपुर में वर्ष 2020 से स्थापित/संचालित है। निरीक्षण के समय उद्योग में उत्पादन कार्य किया जाता पाया गया।
2. उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में धान का प्रयोगकर अरबा चावल का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की उत्पादन क्षमता 18000 टन/वर्ष की है।
3. उद्योग में जल का प्रयोग केवल घरेलू प्रयोजन में 01 कि0ली0/दिन किया जाता है, जो कि जिला स्तरीय भू–गर्भ जल प्रबन्धन परिषद, शाहजहॉपुर से अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु न्यूनतम 10 कि0ली0/दिन से कम है। घरेलू प्रयोजन से जनित उत्प्रवाह को सेप्टिक टैक/सोक पिट के माध्यम से निस्तारित किया जाता है। औद्योगिक प्रक्रिया से किसी प्रकार का उत्प्रवाह निस्तारित नही होता है। सन्दर्भित उद्योग क्षेत्र भू–गर्भ जल दोहन हेतु जिला स्तरीय भू–गर्भ जल प्रबन्धन परिषद, शाहजहॉपुर के अनुसार सुरक्षित क्षेत्र, गैर अधिसूचित क्षेत्र में आता है।
4. उद्योग में वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति हेतु 250 के0वी0ए0 क्षमता का 01 नं0 कैनोपी युक्त डी0जी0 सेट एवं 82.5 के0वी0ए0 क्षमता का 01 नं0 कैनोपी युक्त डी0जी0 सेट स्थापित है। डी0जी0 सेटों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग आवश्कतानुसार किया जाता है तथा निरीक्षण के समय डी0जी0 सेटो से सम्बद्ध एग्जॉस्ट पाइप की ऊँचाई बोर्ड मानको के अनुरूप पायी गयी।

5. संदर्भित उद्योग को इस कार्यालय के ऑनलाइन संदर्भ सं0 140335/यूपीपीसीबी/बरेली (यूपीपीसीबीआरओ)/सीटीओ/वाटर/शाहजहांपुर/2021 दिनांक 27.10.2021 द्वारा सशर्त सहमति जल एवं ऑनलाइन संदर्भ सं0 140334/यूपीपीसीबी/बरेली(यूपीपीसीबीआरओ)/सीटीओ/एयर/शाहजहांपुर/2021 दिनांक 27.10.2021 द्वारा सशर्त वायु सहमति निर्गत की गयी है, जिसकी वैद्यता अवधि दिनांक 31.03.2023 तक है। उद्योग द्वारा सहमति जल एवं वायु में निहित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है।

6. उद्योग स्थल को उपजिलाधिकारी, तिलहर, शाहजहाँपुर के वाद सं0–02202/2020 धारा 80 अन्तर्गत उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 दिनांक 17.07.2020 द्वारा अकृषिक भूमि घोषित किया गया है।

7. निरीक्षण के समय उद्योग परिसर के अन्दर एवं राजेश्वरी देवी बाबू राम इण्टर कॉलेज, जैतीपुर, शाहजहांपुर के परिसर के अन्दर परिवेशीय वायु गुणता के अनुश्रवण का कार्य क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली की प्रयोगशाला द्वारा दिनांक 22.03.2022 को किया गया। प्राप्त अनुश्रवण आख्यानुसार उद्योग परिसर में पी0एम0–10 की मात्रा 87.11 माइक्रोग्राम/घनमी0 एवं राजेश्वरी देवी बाबू राम इण्टर कॉलेज, जैतीपुर, शाहजहांपुर के परिसर में पी0एम0–10 की मात्रा 75.26 माइक्रोग्राम/घनमी0 पायी गयी, जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित (आवासीय एवं अन्य क्षेत्र) मानक 100 माइक्रोग्राम/घनमी0 से कम है, अनुश्रवण आख्या संलग्न है **(संलग्नक–2)**।

8. उद्योग में औद्योगिक प्रक्रिया से जनित राइस हस्क एवं पॉलिशिंग डस्ट का एकत्रण पूर्ण रूप से कवर्ड टीन शेड में भण्डारित किया जाता पाया गया तथा स्कूल परिसर की तरफ ऊँची बाउण्ड्री वॉल का निर्माण कराते हुये टीन शेड से कवर्ड किया गया है, जो विगत में नही था। निरीक्षण के समय लिये गये फोटाग्राफ्स संलग्न है **(संलग्नक–3)।**

9. निरीक्षण के समय उद्योग के समीप स्थित मैसर्स राजेश्वरी देवी बाबू राम इण्टर कॉलेज, जैतीपुर, शाहजहांपुर के प्रधानाचार्य/प्रबंधक से संयुक्त कमेटी द्वारा सम्पर्क किया गया, सम्पर्क के दौरान उक्त कॉलेज के प्रधानाचार्य/प्रबंधक द्वारा मौके पर लिखित बयान दिनांक 22.03.2022 को संयुक्त कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। लिखित बयान के अनुसार उद्योग द्वारा राइस हस्क एवं पॉलिशिंग डस्ट के रोकथाम हेतु बाउण्ड्रीवॉल की पर्याप्त ऊँचाई, डस्ट यार्ड को पूर्ण रूप कवर्ड कर लिया गया है, जिसके कारण उद्योग के संचालन से वायु प्रदूषण की समस्या नहीं हो रही है। अतः उक्त उद्योग के संचालन से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लिखित बयान की छायाप्रति संलग्न है **(संलग्नक–4)।** अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता श्री सुखराम के सम्बन्ध में कॉलेज के प्राधानाचार्य/प्रबन्धक से शिकायतकर्ता को कॉलेज में उपस्थित होने हेतु अनुरोध किया गया। तत्क्रम में प्राधानाचार्य/प्रबन्धक अवगत कराया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत कॉलेज हित में किया गया था, मौके पर शिकायतकर्ता उपस्थित नही हो सका।

10. उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के ओ0ए0 नं0 433/2021 ''सुखराम सिंह बनाम स्टेट आफ उ0प्र0'' में दिनांक 27.01.2022 के माध्यम से शिकायतकर्ता श्री सुखराम सिंह पुत्र श्री फूल सिंह, निवासी ग्राम गोहावर, पोस्ट–जैतीपुर, तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर की शिकायत का निस्तारण हो गया है।

उपरोक्त बिन्दुवार आख्या एवं मौके पर लिये गये फोटोग्राफ्स सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(सुनील सिंह चौहान)
वैज्ञानिक सहा0
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बरेली

(जीतेन्द्र लाल)
सहा0पर्या0अभियंता
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बरेली

(जोगेन्द्र सिंह)
ए0एस0ओ0
जि0उ0प्रो0 तथा उ0वि0 केन्द्र
शाहजहाँपुर

(तृप्ति गुप्ता)
तहसीलदार
तिलहर
शाहजहाँपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बरेली

उप जिलाधिकारी
तहसील तिलहर
जिला शाहजहांपुर

सलग्नक – 1

कार्यालय जिलाधिकारी, शाहजहांपुर

सन्दर्भ संख्या:– 1085/ O.A No.–433-2021 /2022 दिनांक– 26-02-2022

आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 433/2021 "सुखराम सिंह बनाम स्टेट आफ उ0प्र0" में दिनांक 27.01.2022 को जारी आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निम्नानुसार संयुक्त समिति गठित की जाती है।

1. उप जिलाधिकारी, तिलहर, शाहजहांपुर/नामित सदस्य
2. उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, शाहजहांपुर/नामित सदस्य
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली/नामित सदस्य

उक्त संयुक्त समिति को निर्देशित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुसार शिकायती प्रकरण में तत्काल जांच कर शिकायती प्रकरण का निस्तारण निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित कराते हुये, कृत कार्यवाही की आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली की ई–मेल judicial-ngt@gov.in पर निर्धारित समयानुसार अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

(उमेश प्रताप सिंह) 28/2/2022
जिलाधिकारी
शाहजहांपुर

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित।

1. उप जिलाधिकारी, तिलहर, शाहजहांपुर।
2. उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, शाहजहांपुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली को इस निर्देश के साथ कि संयुक्त समिति के सदस्यों से समन्वय स्थापित कर निर्धारित समयावधि में कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें ।

जिलाधिकारी 2/2022
शाहजहांपुर

संलग्नक - 2

REGIONAL LABORATORY OFFICE BAREILLY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

E-1219/1, E-Block Rajendra Nagar, Awas Vikas Colony, Post-Izzat Nagar, Bareilly

Ambient Air Test Report

Ref no-15637252/Bareilly/2022

1- Name of Place and Address: M.D. AGRO INDUSTRIES, Shahjahanpur

2- Sample Collected By: S B Dwivedi, MA

3- Date of sample Collection: 22/03/2022

4- Date of sample Receipt in Laboratory: 22/03/2022

5- Further details of sample location nad Test methods followed are appened overleaf:

Sr no.	Monitoring Location	Area Categoory	Shift	Sulphar di-oxide(ug/m3)	Nitrogen di-oxide(ug/m3)	Particulate Matter PM10(Less than 10Micron)(ug/m3)	Particulate Matter PM2.5(Less than 2.5 Micron)(ug/m3)
1	M.D. AGRO INDUSTRIES	Industrial/Residential/Rural/OtherArea	I	-	-	87.11	-

Remark:- There was no fuel used in the process, parameter NOx and SOx were not required hence not conducted.

Analysed by-

[Sunil Singh Chauhan]

Authorised Signatory-

VIMAL KUMAR RAJPUT

Vimal Rajput ASO

ROHIT SINGH Digitally signed by ROHIT SINGH Date: 2022.03.23 20:40:58 +05'30'

Regional Officer

संलग्नक-2

REGIONAL LABORATORY OFFICE BAREILLY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

E-1219/1, E-Block Rajendra Nagar, Awas Vikas Colony, Post-Izzat Nagar, Bareilly

Ambient Air Test Report

Ref no-15637262/Bareilly/2022

1- **Name of Place and Address: Rajeshwari Devi Babu Ram Inter College (Campus) , Shahjahanpur**

2- **Sample Collected By: S B Dwivedi, MA**

3- **Date of sample Collection:22/03/2022**

4- **Date of sample Receipt in Laboratory:22/03/2022**

5- **Further details of sample location nad Test methods followed are appened overleaf:**

Sr no.	Monitoring Location	Area Categoory	Shift	Sulphar di-oxide(ug/m3)	Nitrogen di-oxide(ug/m3)	Particulate Matter PM10(Less than 10Micron)(ug/m3)	Particulate Matter PM2.5(Less than 2.5 Micron)(ug/m3)
1	Rajeshwari Devi Babu Ram Inter College (Campus)	Industrial/Residential/Rural/OtherArea	I	-	-	75.26	-

Analysed by-

[Sunil Singh Chauhan]

Authorised Signatory-

VIMAL KUMAR RAJPUT

Vimal Rajput ASO

ROHIT SINGH Digitally signed by ROHIT SINGH Date: 2022.03.23 20:35:31 +05'30'

Regional Officer

सलंग्नक-3

दिनाक–22.03.2022 को निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ

उद्योग परिसर में परिवेशीय वायु गुणता अनुश्रवण का कार्य

स्कूल की साइड में कवर्ड किया गया स्थल

स्कूल की साइड में कवर्ड किया गया स्थल

स्कूल की साइड में कवर्ड किया गया स्थल

भूसी एवं कवर्ड डस्ट यार्ड

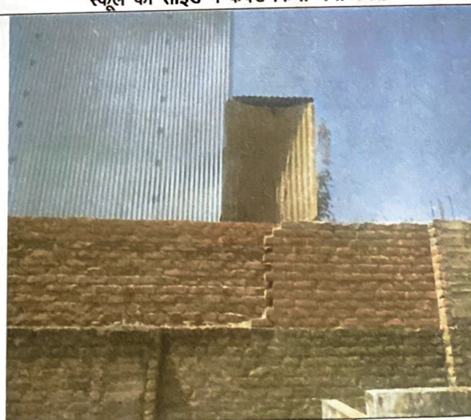
स्कूल की साइड में पीछे की ओर कवर्ड स्थल

सलंग्नक - 3

दिनाक–22.03.2022 को निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ

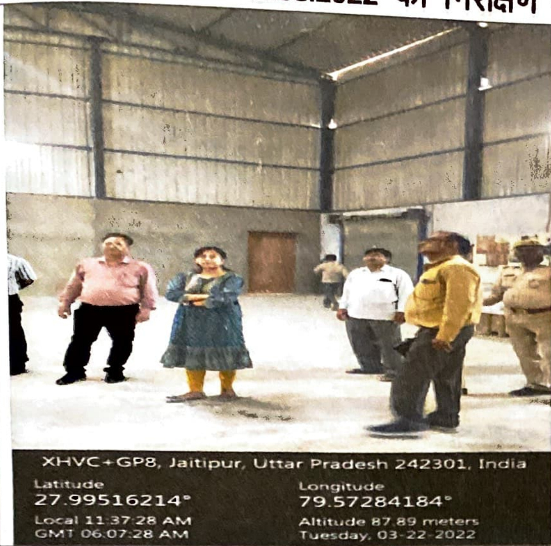

निरीक्षण के समय गठित संयुक्त समिति

निरीक्षण के समय गठित संयुक्त समिति

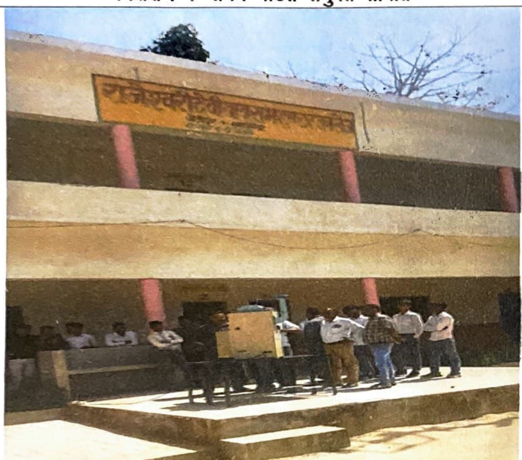

स्कूल परिसर में परिवेशीय वायु गुणता का कार्य

कवर्ड डस्ट यार्ड

कवर्ड डस्ट यार्ड आन्तरिक दृश्य

कवर्ड डस्ट यार्ड बाहरी दृश्य

सलंग्नक – 4

RAJESHWARI DEVI BABURAM INTER COLLEGE

Jaitipur, Shahjahanpur

From,
PRINCIPAL / MANAGER
R.D.B.R.I.C. Jaitipur, Spn.
Mob:- 9451707789, 8953912011

To,
The क्षेत्रीय अधिकारी बोर्ड
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण (बरेली)

Date 22/03/2022

Ref. No.............................

Subject :- राजेश्वरी देवी बाबूराम इण्टर कालेज जैतीपुर के पास पश्चिम दिशा में स्थापित/संचालित मैसर्स एम० डी० एग्रो (राइसमिल) से हो रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में

महोदय,

राजेश्वरी देवी बाबूराम इण्टर कॉलेज, जैतीपुर के पास पश्चिम दिशा में स्थापित/संचालित उद्योग मैसर्स एम०डी० एग्रो (राइसमिल) के संचालन से होने वाली धूल की रोकथाम में उद्योग द्वारा समुचित व्यवस्थाएँ जैसे भूसी यार्ड को चारों ओर से पूर्ण रूप से बंद करना, बाउंड्री वाल को ऊँचा करना आदि व्यवस्थाएँ उद्योग द्वारा करा ली गई हैं। उद्योग के संचालन से अब वायु प्रदूषण की समस्या नहीं हो रही है। की गई शिकायत का समाधान हो गया है। उद्योग के संचालन से मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

Anshul
22/03/22
अंशुल मिश्रा
(प्रबन्धक)

PRINCIPAL
RAJESHWARI DEVI BABURAM
INTER COLLEGE
JAITIPUR, SHAHJAHANPUR